ई, मेल :- dforudraprayag @gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 239 / 12-1(27) दिनांक 21/07/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :– **जनपद–रूद्रप्रयाग में मा0मु0घो0 संख्या–553/2015 के अन्तर्गत क्यार्क–बरसूड़ी–मैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.340 है॰ वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को वन भूमि हस्तान्तरण। PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/40773/2019**

सन्दर्भ :– भारत सरकार का पत्रांक–8बी./यू.सी.पी./06/70/2021/एफ0सी0/773 दिनांक 23.09.2021 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक–1711/FP/UK/ROAD/40773/2019 दिनांक 13.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ ने उनके पत्रांक–1690/13सी0 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा संशोधित प्रपत्रों को पार्ट–। के क्र0सं0–57 तथा Additional information detail में ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रपत्रों की मूल सहित चार हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई हैं, जो मूल में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

क्र॰सं॰	आपत्तियां	निराकरण
1	In reply to point No. 01, it is required to submit the minimum path distance norms of PWD to connect a habitation.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या–8167/III(2)/18–15 (सामान्य)/2018 दिनांक 31.12.2018 के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मोटर मार्ग से 100 मी॰ की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाता है। शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–1)**
2	In reply to point No. 05, location of the village is still not marked on the KML file.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि लाभान्वित ग्राम की स्थिति को KML file पर सफेद रंग से अंकित कर Parivesh Portal के Form-A Part-I para-C (Maps of forest land proposed to be diverted) वाले कॉलम में Online ऑनलाईन अपलोड कर किया गया है।
3	The reply to point No. 06 is not found satisfacory state Governmet may explore the alternate and submit the detail of the same to this office.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु तीन अन्य वैकल्पिक संरेखणों को संशोधित डिजिटल मानचित्रों में संरेखण 1–हरा रंग, 2–काला रंग एवं 3–नीला रंग से दर्शाया गया है, जिन्हें Part-I para-C(iii) में ऑनलाईन अपलोड किया गया है एवं उक्त मानचित्रों की हार्ड प्रति मूल में संलग्न हैं। **(संलग्नक–2)** वैकल्पिक संरेखणों का तुलनात्मक विवरण वाले प्रपत्र में वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का करण स्पष्ट कर संशोधित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–3)**

क्रमशः–2 पर

4	The reply to point No. 07 is also not found satisfactory. State Government is requested to explore the non- forest land to avoid the muck dumping in forest area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मोटर मार्ग के प्रस्तावित संरेखण के प्रारम्भिक बिन्दु से 1.40 कि.मी. तक सिविल वन क्यार्क–बरसूड़ी व वन पंचायत कौशलपुर की भूमि पड़ती है तथा 0.60 किमी0 गैर वन क्षेत्र जो कि संरेखण के अन्तिम भाग में उपलब्ध है, जिस कारण प्रथम पांच मक डम्पिंग स्थलों को वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है एवं एक भू–स्वामी को छोड़कर अन्य भू–स्वामियों द्वारा मक डम्पिंग हेतु नाप भूमि देने में असहमति व्यक्त की गई, जिस कारण केवल एक मक डम्पिंग स्थल नाप भूमि में प्रस्तावित किया गया है। उक्त के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वन भूमि पर प्रस्तावित मक डम्पिंग स्थलों पर कम से कम मलवे का निस्तारण किया जायेगा एवं ज्यादा से ज्यादा मलवा निस्तारण प्रस्तावित नाप भूमि में किया जायेगा। (संलग्नक–4) (संलग्नक -5)

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कराना है कि मोटर मार्ग के चयनित संरेखण का दिनांक 14.07.2017 को संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया था, जिसमें कुल 68 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, जो कि लगभग 06 वर्ष पूर्व का था। प्रकरण में दिनांक 01.02.2023 को पुनः संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया, जिस कारण प्रभावित वृक्षों की संख्या (कुल 125 वृक्ष) में अन्तर हुआ है तथा कतिपय प्रपत्रों में संशोधन हुआ है, जो मूल सहित चार प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित हैं। **(1–कवर पेज, 2–फैक्स शीट, 3–प्रपत्र 3 भाग।।, 4–प्रतिवेदन, 5–प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, 6–वन भूमि की मांग का औचित्य प्रमाण–पत्र, 7–तुलनात्मक विवरण, 8–वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र, 9–लैण्ड शैड्यूल, परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण, 10–बारचार्ट, 11–प्रभावित वृक्षों के समस्त प्रमाण पत्र, 12–मक डिस्पोजल प्लान, 13–वन भूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र, 14–एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन आदि)**

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (मूल सहित चार प्रतियों में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या – / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.

E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक 1690 /13सी. दिनांक 12/07/2023

सेवा मे,

उपवन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

विषय:– *मा.मुख्यमंत्री घोषणा सं. 553/2015 के अन्तर्गत स्वीकृत क्यार्क–बरसूड़ी–गैरों बैण्ड से जमेथी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.340 है. वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।*

सन्दर्भ:– *भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/70/2021 एफ.सी./773 दिनांक 23–09–2021 एवं आपका पत्रांक 3914/12–1(2) दिनांक 31–05–2023 (ऑन लाइन फाइल सं. FP/UK/ROAD/40773/2019)*

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मांगी गयी सूचनाओं को बिन्दुवार निम्नवत् प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्तियां	निराकरण
1	In reply to point No. 01, it is required to submit the minimum path distance norms of PWD to connect a habitation.	उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या 8167/III(2)/18–15 (सामान्य)/2018 दिनांक 31–12–2018 के अनुसार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूगर्भीय संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिगत मोटर मार्ग से 100 मी. की ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्राम को मोटर मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाता है। **(शासनादेश की छायाप्रति सलंग्न 21 नं. पर)**
2	In reply to point No. 05, location of the village is still not marked on the KML file.	लाभान्वित ग्राम की स्थिति को KML File पर सफेद रंग से अंकित कर Parivesh Portal के Form-A में C. Maps of forest land proposed to be diverted वाले कॉलम में online अपलोड कर दिया गया है।
3	The reply to point No. 06 is not found satisfacory state Governmet may explore the alternate and submit the detail of the same to this office.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वैकल्पिक समरेंखणों को डिजिटल मैप, टोपोशीट मैप एवं KML File में हरे, काले एवं नीले रंग से अंकित किया गया है, एवं वैकल्पिक समरेंखणों का तुलनात्मक विवरण वाले प्रपत्र में वैकल्पिक समरेंखणों को निरस्त किये जाने का कारण सहित प्रपत्र को संशोधित कर दिया गया है। **(संशोधित प्रपत्र सलंग्न 7 नं. पर)**
4	The reply to point No. 07 is also not found satisfactory. State Government is requested to explore the non- forest land to avoid the muck dumping in forest area.	उक्त मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेंखण के प्रारम्भिक बिन्दु से 1.40 कि.मी. तक सिविल वन क्यार्क–बरसूडी व वन पचांयत कौशलपुर की वनभूमि पडती है, तथा 0.60 किमी. गैर वन क्षेत्र समरेंखण के अन्तिम प्रभाग में उपलब्ध है, जिस कारण प्रथम 5 मक डम्पिंग स्थल को वनभूमि में प्रस्तावित किया गया है, एक भू–स्वामी को छोड कर अन्य भू–स्वामियों द्वारा मक डम्पिंग हेतु नापभूमि देने में असहमति व्यक्त की गई, जिस कारण एक ही मक डम्पिंग जोन को नापभूमि में प्रस्तावित किया गया। खण्ड द्वारा वचनबद्वता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि वनभूमि में प्रस्तावित मक डम्पिंग जोन में कम से कम मलवे का निस्तारण किया जायेगा एवं ज्यादा से ज्यादा मलवा निस्तारण नाप भूमि में प्रस्तावित मक डम्पिंग जोन में किया जायेगा। **(प्रमाण–पत्र संलग्न 22 नं. पर)**

मानचित्रकार
आ.का.क.

प्र.स.
20.7.23

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मोटर मार्ग के चयनित सरेखण का दिनांक 14–07–2017 को सयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया था, जिसमे कुल 68 वृक्ष प्रभावित हो रहे थे, जो कि लगभग 06 वर्ष पूर्व का था। प्रकरण में दिनांक 01–02–2023 को पुनः संयुक्त निरीक्षण कार्य किया गया, जिस कारण प्रभावित वृक्षों की संख्या (कुल 125 वृक्षों) में अन्तर हुआ है, तथा कतिपय प्रपत्रों में संशोधन हुआ है, जो मूल सहित पॉच प्रतियों में सलंग्न कर प्रेषित है। **(1–कवर पेज, 2–फैक्ट शीट, 3–प्रपत्र 3 भाग।।, 4–प्रतिवेदन, 5–प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, 6–वनभूमि की मॉग का औचित्य का प्रमाण–पत्र, 7– तुलनात्मक विवरण, 8– वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र, 9–लैण्ड शैड्यूल, परियोजना की लम्बाई–चौडाई का विवरण, 10–बारचार्ट, 11–प्रभावित वृक्षों के समस्त प्रमाण–पत्र, 12–मक डिस्पोजल प्लान, 13–वनभूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र, 14–एन॰पी॰वी॰ की धनराशि का आंकलन आदि)**

सलंग्नः–1. कवर पेज।

2. फैक्ट सीट।
3. प्रपत्र–3 (भाग–2)।
4. प्रतिवेदन।
5. प्रपत्र–6 (सयुंक्त निरीक्षण रिर्पोट)।
6. प्रपत्र–11 (वनभूमि की मॉग का औचित्य का प्रमाण–पत्र)।
7. तुलनात्मक विवरण।
8. प्रपत्र–14 (वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र)।
9. लैण्ड शैड्यूल (15, 15.1, 15.2)।
10. प्रपत्र–16 (परियोजना की लम्बाई चौडाई का विवरण)।
11. बारचार्ट।
12. प्रपत्र–19, 19.1 (पेडों का विवरण)।
13. प्रपत्र–20.1 (परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों का सांराश, पेडों की सूची)।
14. प्रपत्र–21 (परियोजना क्षेत्र में विधमान वृक्षों मे से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण)।
15. वृक्षो की मूल्य सूची।
16. परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची।
17. आरक्षित भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र।
18. प्रपत्र–41 (मक डिस्पोजल प्लान)।
19. वनभूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र।
20. प्रपत्र–42 (एन॰पी॰वी॰ की धनराशि का आंकलन)।
21. शासनादेश की छायाप्रति।
22. वनभूमि में कम से कम मक डम्प किये जाने का प्रमाण–पत्र।

(इं॰ मनोज कुमार भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

पत्रांक /13सी॰ दिनांक / /2023

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।